

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 870/2012

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 870/2012

संस्थापित दिनांक 02/11/2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
एण्डोरी, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. हल्के पुत्र रामेश्वर राठौर उम्र 26 साल
निवासी नई सब्जी मंडी के पास राठौर कॉलोनी मुरैना

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा-294, 452 एवं 325 भा0द0सं0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ- श्री प्रवीण सिकरवार।)
(आरोपी हल्के द्वारा अधिवक्ता-श्री के0पी0 राठौर।)

::- निर्णय :-

(आज दिनांक 23.02.2018 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 19/10/12 को रात्रि करीबन साढ़े ग्यारह बजे फरियादी रामनरेश सिंह के घर के सामने पुरोहित का पुरा बकनासा में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी रामनरेश सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी रामनरेश सिंह के निवासगृह में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर आपराधिक गृहअतिचार कारित करने एवं उसी समय फरियादी रामनरेश सिंह की लाठी डंडे से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करने हेतु भादसं की धारा 294, 452 एवं 325 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 16/10/12 को फरियादी रामनरेश के चाचा अर्जुन सिंह की तेरहवीं में उसकी बहू गुड्डी के साथ मुरैना से आरोपी कमल गुप्ता, धर्मेन्द्र गुर्जर, भगरी राठौर, हल्के राठौर एवं गजेन्द्र राठौर आए थे जिनसे उसका मुंहवाद हो गया था इसी बात को लेकर घटना दिनांक 19.10.12 की रात्रि करीबन साढ़े ग्यारह बजे आरोपी कमल, धर्मेन्द्र, भगरी, हल्के एवं गजेन्द्र डण्डा लेकर आए थे और उसे मां बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे थे उसने

आरोपीगण को गाली देने से मना किया था और वह अपने घर के अंदर चला गया था तो आरोपी हल्के, गजेन्द्र एवं धर्मेन्द्र गुर्जर ने घर के अंदर घुसकर उसकी लाठी डंडों से मारपीट की थी जिससे उसके दाहिनी पसली, कमर, सिर एवं बांये हाथ में चोटें आई थीं उसके चिल्लाने पर रामवीर, शिवसिंह एवं हवलदारसिंह तथ अन्य गांव के लोग आ गए थे जिन्होंने घटना देखी थी एवं बीच बचाव किया था। आरोपीगण की पकड़ा धकड़ी की थी तो उनके भी चोटें आई थीं फिर उसे एवं आरोपीगण को अस्पताल गोहद लेकर गए थे जहां उनका इलाज हुआ था फिर वह आरोपीगण को थाने लेकर रिपोर्ट करने गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना एण्डोरी में अ0क्र0 90/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 19/10/12 को रात्रि करीबन साढे ग्यारह बजे फरियादी रामनरेश सिंह के घर के सामने पुरोहित का पुरा बकनासा में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी रामनरेश सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रामनरेश सिंह के निवासगृह में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर आपराधिक गृहअतिचार कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रामनरेश सिंह की लाठी डंडे से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी रामनरेश अ0सा0 02 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी रामनरेश सिंह आ0सा002 ने न्यायालय के

समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी हल्के को नाम व शक्ल से नहीं जानता है घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 4 साल पहले रात्रि साढ़े ग्यारह बारह बजे की है। वह अपने दरवाजे पर लेटा था तभी पांच लोग छोटी चार पहिए की गाडी से आए थे और उसे खाट के नीचे पटककर उसकी मारपीट करने लगे थे पुलिस मौके पर आ गई थी, मारपीट जिन लोगों ने की थी, वह उनको नाम व शक्ल से नहीं जानता है। उसने घटना की रिपोर्ट थाना एण्डोरी में की थी, जो प्र०पी० 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा-मौका प्र०पी० 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी हल्के रातौर ने घर के अंदर घुसकर उसकी मारपीट की थी।

9. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रामनरेश अ०सा० 02 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन पांच लोगों ने उसकी मारपीट की थी, परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि वह चार-पांच लोग कौन थे। फरियादी रामनरेश अ०सा० 02 आरोपी हल्के की पहचान भी नहीं की गई है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी हल्के ने घर में घुसकर उसकी मारपीट की थी।

10. इस प्रकार फरियादी रामनरेश अ०सा० 2 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन की घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी हल्के द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के तथ्य से इंकार किया गया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को आरोपी हल्के के संबंध में अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी हल्के ने घटना दिनांक को फरियादी रामनरेश सिंह के निवासगृह में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया एवं उसी समय फरियादी रामनरेश सिंह की लाठी डंडों से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

11. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 19/10/12 को रात्रि करीबन साढ़े ग्यारह बजे फरियादी रामनरेश सिंह के घर के सामने पुरोहित का पुरा बकनासा में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी रामनरेश सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, फरियादी रामनरेश सिंह के निवासगृह में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर आपराधिक गृहअतिचार कारित किया एवं उसी समय फरियादी रामनरेश सिंह की लाठी डंडे से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी हल्के को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा०द०सं० की धारा 294, 452 एवं 325 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

13. आरोपी पूर्व से जमानत पर हैं उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
14. प्रकरण में जब्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 23/02/2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)